मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना 2022–23

http://scholarshipportal-mp-nic-in/SambalScholarship/

नोटः–ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 01/11/2022 से प्रारम्भ है।

महाविद्यालय के उन विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, जिनके माता/पिता का म0प्र0 शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो, ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम हेतु व्यय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म0प्र0 निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जायेगा।

ऊपर दिए गए पोर्टल में पात्र विद्यार्थी पंजीयन कर लॉग–इन कर आवेदन करें।

निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करें

- असंगठित प्रमाण पत्र की प्रति
- मूल निवासी/स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
- पिता/पालक/अभिभावक का तहसीलदार द्वारा प्रमाणित वर्तमान वर्ष का आय प्रमाण पत्र
- 10 वीं 12 वीं अंक सूची तथा द्वितीय या तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पिछले वर्षों की अंक सूची
- आधार कार्ड
- समग्र आई डी
- फी स्लिप की प्रति
- महाविद्यालय आईडी कार्ड की प्रति
- बैंक पास बुक की प्रति (बेनेफिशारी नाम अकाउंट नंबर आई एफ एस सी कोड) सहित।

PRINCIPAL
St. Aloysius College (Autonomous)
JABALPUR- 482001 (M.P.)
INDIA